

# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 1774, 1775, 1776, 1777 व 1778 / 2015..... जिला : जयपुर.....  
 मैसर्स होटल हाईवे किंग, शाहपुरा, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, करापवचन, वृत्त-प्रथम, जयपुर व अपीलीय प्राधिकारी-प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	---------------------------------	--

**खण्डपीठ**  
**श्री सुनील शर्मा, सदस्य**  
**श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य**

04.11.2015

अपीलार्थी की ओर से श्री मोती कोटझानी एव विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री डी.पी.ओझा उपस्थित।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त पांच अपीलें अपीलीय प्राधिकारी-प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक-पृथक आदेश दिनांक 26.10.2015, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये हैं, के विरुद्ध अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें सहायक आयुक्त, करापवचन, वृत्त-प्रथम, जयपुर (जिसे आगे 'निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 26, 55 एवं 61 के तहत पारित पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 06.07.2015 निर्धारण वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 एवं 2014-15 के सम्बन्ध में निम्न तालिका के अनुसार आरोपित कर, ब्याज एवं शास्तियों में से आरोपित शास्तियों पर स्थगन प्रदान करते हुए कर एवं ब्याज की वसूली पर अपीलीय अधिकारी द्वारा रोक लगाने से इंकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए कर एवं ब्याज की वसूली स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया है :-

अ.स.	कर	ब्याज	शास्ति धारा 61 के अन्तर्गत
1774 / 15	36,680 / -	25,360 / -	73,360 / -
1775 / 15	2,02,366 / -	1,15,402 / -	4,04,732 / -
1776 / 15	2,10,701 / - सर्विस टैक्स पर आरोपित वैट रु. 33,695 / -	1,11,3,22 / -	4,94,792 / -
1777 / 15	2,32,623 / - सर्विस टैक्स पर आरोपित वैट रु. 61,506 / -	1,14,727 / -	5,88,258 / -
1778 / 15	1,54,264 / - सर्विस टैक्स पर आरोपित वैट रु. 70,524 / -	55,845 / -	4,49,576 / -

बहस में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कायम की गई मांग राशि में से कर व ब्याज की वसूली पर रोक लगाने से इंकार करने संबंधी किसी प्रकार के विधिक कारणों का आदेश में अंकन नहीं किया है। उनके द्वारा आरोपित कर व ब्याज बाबत प्रकरण व सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट करते हुए उक्त मांग वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी तथा अन्यथा स्थिति में अपीलार्थी व्यवहारी को अपूरणीय क्षति होने का तर्क भी दिया गया।

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए सुविधा सन्तुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक सम्बन्धी प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन के पश्चात यह पीठ अनुभव करती है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगन हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में स्थगन हेतु आवेदित राशियों में से अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों पर स्थगन प्रदान कर उपरोक्त तालिका के अनुसार अवशेष राशियों को स्थगित नहीं करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई विधिक कारण अपीलीय अधिकारी ने पृथक-पृथक अपीलाधीन आदेशों दिनांक 26.10.2015 में अंकित नहीं किया है। सर्विस टैक्स एक Statutory Levy है और राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 2 (36) में वर्णित सेल प्राईस का प्रथम दृष्टया भाग है। अतः कर निर्धारण आदेश में विवेचित संव्यवहारों के संदर्भ में सर्विस टैक्स पर आरोपित वैट के विवादित बिन्दु पर वर्तमान में गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, सर्विस टैक्स की राशियों पर आरोपित वैट पर स्थगन प्रदान नहीं किया जाता है। किन्तु आदेश में वर्णित संव्यवहारों पर कर दर के विवादित बिन्दु पर अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये वगैर अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत वसूली योग्य राशि मांग राशि अर्थात् उपरोक्त तालिका में सर्विस टैक्स पर आरोपित वैट की राशियों के अतिरिक्त, अपील संख्या 1774/2015 एवं 1775/2015 में आरोपित कर एवं ब्याज में से आवेदित राशि रु. 58,372/- तथा 2,97,531/- एवं अपील संख्या 1776 से 1778/2015 में उपरोक्त तालिका के अनुसार आरोपित कर एवं ब्याज की वसूली के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा, साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वह इस आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया

( मोहन लाल नेहरा )  
सदस्य

(सुनील शर्मा)  
सदस्य